उत्तर प्रदेश आबकारी निरीक्षक संघ

कार्मिक- 4 (जे०सी०एम०) पत्रावली संख्या-7, ई०एम०/81 (संयुक्त सलाहकार समिति)
लखनऊ दिनांक 28.02.83 के अन्तर्गत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त

अध्यक्ष
अतुल त्रिपाठी
मो०-9415307404

उपाध्यक्ष
संतोष कुमार उपाध्याय
मो०-9415635031
प्रियंका मिश्रा
मो०- 9891594705

महामंत्री
अमित कुमार निर्मल
मो०-9452273850

संयुक्त मंत्री
लवी आर्या
मो०-9415259239
इंगिता पाण्डेय
मो०-8601969713

कोषाध्यक्ष
आशीष पाण्डेय
मो०-7905443606

प्रकाशन मंत्री
नेहा कुमारी
मो०-9313237768

सम्प्रेक्षक
लक्ष्मी शंकर बाजपेयी
मो०-9473979630

पत्रांक/संगठन-2, पत्र-2 दिनांक 26.4.18

सेवा में,

प्रमुख सचिव आबकारी विभाग
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

विषयः– <u>आबकारी निरीक्षकों की वेतन विसंगति को दूर कर ग्रेड–पे रू0 4800/– के समकक्ष वेतन निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश आबकारी निरीक्षक संघ की कई वर्षो से चली आ रही निरन्तर मांगों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो निम्नवत हैः–

1. आबाकरी निरीक्षक का ग्रेड–पे रू0 4600–/ है। प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन में 10 वर्ष पश्चात उनको मात्र रू0 200/– की वृद्धि अर्थात ग्रेड–पे रू0 4800/– दिया जाता है जो न्यायोचित नहीं है।

2. आबकारी निरीक्षक की भॉति ही वाणिज्य कर विभाग में वाणिज्य कर अधिकारी का ग्रेड–पे रू04800/– हो गया है। अतः वाणिज्य कर

Scanned with CamScanner

अधिकारी की भांति ही आबाकरी निरीक्षक का ग्रेड–पे रू0 4800/– कर दिया जाय। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश में राजस्व अर्जन करने वाले मुख्यतः दो विभागो में वाणिज्य कर के बाद दूसरे स्थान पर आबकारी विभाग है जिसमें राजस्व अर्जन करने में अपनी उपयोगिता सजगता एवं भूमिका के कारण आबकारी निरीक्षक को विभाग का मेरूदण्ड कहा जाता है।

3. वाणिज्य कर अधिकारी की भॉति आबकारी निरीक्षक की सीधी भर्ती लोकसेवा आयोग, उ0प्र0 से होती है एवं दोनो सेवा ग्रुप 'ख' की श्रेणी में आती है।

4. आबकारी विभाग के सम्बन्ध में यहॉ विशेष रूप से उल्लेखनीयहै कि ग्रेड–पे रू0 4800/– का कोई मूल पद वर्तमान में विद्यमान नही है, जिससे आबकारी निरीक्षक का ग्रेड–पे रू0 4800/– करने पर कोई विसंगति उत्पन्न नही होगी।

5. सम्पूर्ण आबकारी विभाग में आबकारी निरीक्षक से उच्च उवं निम्न पदों मे से किसी भी पद के प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) में इतनी कम वृद्धि (मात्र रू0

Scanned with CamScanner

200/-) नही है जबकि आबकारी निरीक्षक राजस्व अर्जन की दृष्टि से अपेक्षाकृत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण एवं प्रवर्तन कार्य की दृष्टि से अति संवेदनशील पद है।

6. आबकारी निरीक्षक की पदोन्नति सहायक आबकारी आयुक्त पद पर होती है, जिसका ग्रेड-पे रू0 4800/- कर दिया जाय तो आबकारी निरीक्षक को 10 वर्ष पश्चात वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) में ग्रेड-पे रू0 5400/- मिल जायेगा जो वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) के उददे्श्य को तार्किक एवं न्यायसंगत रूप से परिभाषित करेगा।

राजस्व अर्जन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण भूमिका एवं आबकारी अपरोधो पर प्रभावी अंकुश लगाने की दृष्टि से जोखिम भरा और अति संवदेनशील, 24 घण्टे प्रभावी एवं कुशल कार्य करके प्रदेश को इस वर्ष लगभग 30,000/- करोड राजस्व अर्जित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आबकारी निरीक्षक को, संघ की उपरोक्त तर्को से संतुष्ट होते हुए, वंछित ग्रेड-पे रू0 4800/- दिया जाना न्यायोचित एवं समीचीन प्रतीत होता है। ऐसा न होने की दशा मे आबकारी निरीक्षक

Scanned with CamScanner

संवर्ग हतोत्साहित होगा, जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजस्व अर्जन में प्रतिकूल प्रभाव पडेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उ0प्र0 आबकारी निरीक्षक संघ के उपरोक्त तर्को से सहमत होते हुए उनकी सम्यक मांग वेतन मैट्रिक्स में ग्रेड–पे रू0 4800/– के समकक्ष वेतनमान दिलाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

दिनांक– 26.9.18

भवदीय

26.9.18

(अतुल त्रिपाठी)

अध्यक्ष

उ0प्र0 आबकारी निरीक्षक संघ

Scanned with CamScanner